न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

A2/1

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 145/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/206)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. सूरज सिंह पुत्र राज सिंह जाति तरखान निवासी चक 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

तारीख रजूः- 11.07.2022

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 27.09.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सख्या 90/88 में वादी के दादा के नाम गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह के नाम से 3.112 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिर्कार्ड है। वादी के दादा का वास्तविक नाम गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह है। वादी के दादा गुरदयाल सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र, पहचान पत्र संबधित दस्तावेजात में उनका वास्तविक नाम अंकित है। उक्त कृषि भूमि वादी के दादा गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह को सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह को कृषि भूमि के संबध में 22.05.1954 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषक प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है एंव समय-समय पर राजकोष में कृषि भूमि के संबध में जमा करवाई राशि की समस्त रसीदो में भी वादी के दादा का नाम गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह अंकित है। लेकिन वर्तमान चालू जमाबन्दियों में सहवन से गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह के स्थान पर गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह अंकित हो गया। वादी के दादा गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह के नाम में भिन्नता होने के कारण, कृषि भूमि के संबध में हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पडता है। इस कारण वादी अपने दादा का उक्त नाम संशोधित करवाकर घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वादी वाद स्वीकार किया जाकर चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 में अंकित नाम गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह के स्थान पर गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4951 दिनांक 04.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 के मुरब्बा नम्बर 44 की 3.112 हेक्टैयर नहरी भूमि गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह जाति तरखान को अलॉटमेंट हुई थी। जबकि रिर्कार्ड में कभी भी गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह का नाम बन्दोबस्त से लेकर आज तक दर्ज नहीं हुआ पाया गया। बन्दोबस्त जमाबन्दी में भी गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह दर्ज था जो आगे चलकर गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह जाति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

A-2/2

तरखान दर्ज हो गया। साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 की प्रति, आवंटन आदेश की छायाप्रति, रकम जमा चालान छायाप्रति, भूमिहीन काश्तकार प्रमाण पत्र की छायाप्रति, गुरदयाल सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 में अंकित गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह के स्थान पर गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह दर्ज करवाने बावत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 के मुरब्बा नम्बर 44 की 3.112 हेक्टैयर नहरी भूमि गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह जाति तरखान को अलॉटमेंट हुई थी। जबकि रिकॉर्ड में कभी भी गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह का नाम बन्दोबस्त से लेकर आज तक दर्ज नहीं हुआ पाया गया। बन्दोबस्त जमाबन्दी में भी गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह दर्ज था जो आगे चलकर गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह जाति तरखान दर्ज हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आवंटन आदेश की छायाप्रति, रकम जमा चालान छायाप्रति, भूमिहीन काश्तकार प्रमाण पत्र की छायाप्रति, गुरदयाल सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति में वादी के दादा का नाम गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह दर्ज है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 के मुरब्बा नम्बर 44 की 3.112 हेक्टैयर भूमि में अंकित नाम गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह जाति तरखान साकिन देह राष्ट्रपति भारत सरकार के स्थान पर गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह जाति तरखान साकिन देह राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सूरज सिंह बनाम **राजस्थान सरकार**

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **145/2022**

निर्णय दिनांक :- 27.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 90/88 के मुरब्बा नम्बर 44 की 3.112 हेक्टैयर भूमि में अंकित नाम गुरदयाल सिंह पुत्र चमण सिंह जाति तरखान साकिन देह राष्ट्रपति भारत सरकार के स्थान पर गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह जाति तरखान साकिन देह राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.09.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 27.09.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/493

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते